सावधि जमा पर ब्याज गणना के लिए आधार

1. फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज का भुगतान

- सावधि जमाराशियों पर ब्याज की गणना/भुगतान त्रैमासिक/मासिक अंतरालों पर अथवा परिपक्वता पर तथा सावधि जमाराशियों, जैसा भी मामला हो, की मूल्य तिथि को लागू दरों पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार किया जाता है.
- परिपक्वता के समय ब्याज का भुगतान या तो एकमुश्त राशि में किया जा सकता है या ग्राहक द्वारा चुनी गई सावधि जमा और योजना पर ब्याज के भुगतान के लिए नियामक आवश्यकताओं के अनुसार हर तिमाही या हर महीने इसका भुगतान किया जा सकता है। जहां परिपक्वता के समय बैंक द्वारा एकमुश्त ब्याज का भुगतान किया जाना है, सावधि जमा पर ब्याज की वार्षिक दर वहन करेगी।
- बैंक वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों के लिए विशेष दरों की घोषणा कर सकता है।

2. ब्याज गणना की पद्धति

- ब्याज की गणना 3 महीने तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज विधि के आधार पर की जाती है और 3 महीने और उससे अधिक की अवधि के लिए, ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि होता है। तथापि, सावधि जमा भुगतान के मामले में ब्याज दरों की गणना अवधि पर ध्यान दिए बिना केवल साधारण ब्याज के आधार पर की जाती है.
- जमाराशियों पर देय ब्याज दरें निवेशकों को प्रकट की गई ब्याज दरों की अनुसूची के अनुसार होंगी

3. सावधि जमा पर ब्याज पर गणना की विधि, पे-आउट और संचयी जमा दोनों निम्नानुसार है:

- त्रैमासिक भुगतान के साथ पारंपरिक सावधि जमा के लिए, ब्याज की गणना वार्षिक दरों (साधारण ब्याज) के आधार पर की जाती है। त्रैमासिक भुगतान के साथ पारंपरिक फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, ब्याज की गणना पूरी हुई तिमाहियों के लिए मूल राशि पर की जाती है और फिर शेष अवधि के लिए, ब्याज की गणना पूरे महीनों के लिए और आगे अपूर्ण महीने के लिए वास्तविक दिनों की संख्या पर की जाती है.
- संचयी सावधि जमाओं के लिए, ब्याज सटीक तिमाहियों के पूरा होने पर तिमाही रूप से संयोजित किया जाता है। पूर्ण तिमाहियों से परे टूटी हुई अवधि के लिए, साधारण ब्याज की गणना शेष दिनों के लिए संचयी जमा राशि पर की जाती है।
- जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान से संबंधित सभी लेनदेनों को रुपया जमाराशियों के लिए निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

4. **समय से पहले निकासी के मामले में** ब्याज की गणना पूरी हुई तिमाहियों के लिए मूल राशि पर की जाती है और फिर शेष अवधि के लिए, ब्याज की गणना पूर्ण महीनों के लिए और आगे अपूर्ण महीने के लिए वास्तविक दिनों की संख्या पर की जाती है।

5. ब्याज गणना के उद्देश्य से कैलेंडर वर्ष को 365 दिनों से मिलकर लिया जाता है, एक लीप वर्ष को छोड़कर जब इसे 366 दिनों से मिलकर लिया जाता है।

6. **नवीनीकरण**: किसी विशेष अनुदेश के अभाव में, जमाराशि को परिपक्वता पर समान अवधि के लिए लागू ब्याज दरों पर नवीनीकृत किया जाएगा. यदि नवीकरण के लिए अनुरोध परिपक्वता की तारीख के बाद प्राप्त होता है तो ऐसी अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण परिपक्वता की तारीख से देय तारीख पर लागू ब्याज दर पर किया जाएगा, बशर्ते ऐसा अनुरोध परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्राप्त हो गया हो. परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद नवीकृत अतिदेय जमाराशियों के संबंध में, अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जाएगा।

7. **सावधि जमा का बंटवारा:** मृत जमाकर्ताओं या संयुक्त खाताधारकों के दावेदार/समूहों के अनुरोध पर सावधि जमा की राशि को विभाजित करने के मामले में, सावधि जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि जमा की अवधि और कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

स्त्रोत पर कर कटौती निवासी द्वारा धारित सावधि जमा पर ब्याज पर स्त्रोत पर कर की कटौती की जाती है यदि वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा भुगतान/चक्रवृद्धि ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत विनिदष्ट प्रारंभिक सीमा से अधिक है। वर्तमान में, इस प्रयोजन के लिए आरम्भिक सीमा 50,000 रुपए है। इसके अतिरिक्त, किसी निवासी वरिष्ठ नागरिक के मामले में जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, कर लागू दर पर काटा जाएगा यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान/भुगतान/चक्रवृद्धि ब्याज 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है अथवा इससे अधिक होने की संभावना है।

8. पे-आउट एफडी (त्रैमासिक/मासिक ब्याज भुगतान के साथ) के लिए, हर साल 31 मार्च को अर्जित प्रत्येक ब्याज भुगतान/ प्रोद्भूत ब्याज पर कर काटा जाएगा। संचयी एफडी के लिए, हर बार बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज या हर साल 31 मार्च को अर्जित प्रोद्भूत ब्याज का भुगतान करने पर टीडीएस काटा जाता है। 31 मार्च को ब्याज भुगतान/कंपाउंडिंग/प्रोद्भवन पर गणना की गई टीडीएस राशि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से कर अधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

9. वित्त अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी उन सभी ग्राहकों को वैध पैन प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनका कर काटा जाना है। वैध पैन नहीं होने की स्थिति में मौजूदा दर पर या 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, कर काटा जाएगा। इसके अलावा, फॉर्म 121 (पहले इसे 15G/H के नाम से जाना जाता था) को तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे फॉर्म में PAN का उल्लेख न किया गया हो.

10. यदि ग्राहक आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस छूट के लिए पात्र है, तो वे फॉर्म 121 (कंपनी, फर्म के अलावा) जमा कर सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक सावधि/आवर्ती जमा के लिए।

11. यदि ग्राहक आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस छूट के लिए पात्र है, तो धारा 395 के तहत छूट प्रमाण पत्र (सभी धारकों के मामले में)/या बैंक के साथ किसी अन्य कर छूट प्रमाण पत्र को लागू अवधि के लिए पैन के आधार पर प्रस्तुत करना होगा।

12. अनिवासी व्यक्ति के मामले में, एनआरओ सावधि जमा और एनआरओ बचत खाते पर @ 31.20% टीडीएस काटा जाएगा, लागू अधिभार (यदि कोई हो)।

13. यदि ग्राहक के पास निष्क्रिय पैन है (पैन आधार से जुड़ा नहीं है) तो फॉर्म 121 का लाभ नहीं दिया जाता है और टीडीएस @ 20% उच्च दर पर काटा जाएगा।

14. **फिक्स्ड डिपॉजिट की तिथि**

- सावधि जमा की प्रभावी तिथि वह तारीख होगी जिस पर रखी गई जमा राशि बैंक द्वारा वसूल की जाती है/बैंक में जमा की जाती है। किसी भी जमा के संबंध में चेक/टों की वसूली की प्रत्याशा में कोई सावधि जमा रसीद/सलाह जारी नहीं की जाएगी और केवल भुगतान/जमा धन की वास्तविक प्राप्ति पर जारी की जाएगी।
- यदि रविवार या छुट्टी के दिन इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एटीएम या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से सावधि जमा खोलने का अनुरोध प्राप्त होता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अगले कार्य दिवस पर मूल्य के साथ खोला जाएगा.
- यदि रविवार को किसी शाखा में जाने वाले ग्राहकों से सावधि जमा खोलने के लिए अनुरोध रविवार को प्राप्त होता है, तो सावधि जमा अगले कारोबारी कार्य दिवस पर खोला जाएगा.
- यदि सावधि जमा किसी गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस पर भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है, तो गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस के लिए मूल मूल मूल जमा राशि पर मूल अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जो जमा की निर्दिष्ट अवधि की परिपक्वता की तारीख और अगले कार्य दिवस पर जमा की आय के भुगतान की तारीख के बीच हस्तक्षेप करेगा.

15. **सावधि जमा की समय से पहले/आंशिक समापन/निकासी:**

- ऐसी जमाराशि की मूल अवधि पूरी होने से पहले सावधि बंद/आहरित किए जाने की स्थिति में, बैंक के फिक्स्ड/मीयादी जमा खातों के निबंधन और शर्तों के अनुसार, ब्याज की गणना उस अवधि के लिए लागू दर पर की जाएगी जिसके लिए जमाराशि वास्तव में बैंक के पास रही है या संविदागत दर, जो भी कम हो, समयपूर्व दंड के अधीन, यदि कोई हो। ब्याज प्रभार, यदि कोई हो, फिक्स्ड बुकिंग के समय ग्राहक को सूचित किया जाएगा।
- यदि सावधि जमा न्यूनतम अवधि पूरी होने से पहले आहरित कर ली जाती है, तो ऐसी समयपूर्व निकासी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा.

16. फिक्स्ड डिपॉजिट का समयपूर्व नवीनीकरण

यदि कोई जमाकर्ता जिसके पास विद्यमान सावधि जमा है वह सावधि जमा की किसी अन्य योजना में पुनः निवेश/नवीकरण के लिए आवेदन करता है, तो मौजूदा जमा राशि को समय से पहले बंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कि जमाराशि का नवीकरण मौजूदा दंड दरों के अनुसार ब्याज प्रभार प्रभारित करने के बाद मूल जमा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए किया गया हो. नवीकरण के प्रयोजन के लिए जमाराशि को समय से पहले बंद करते समय, बैंक के पास जमा राशि पर उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा जिसके लिए जमाराशि बैंक के पास रही, न कि संविदागत दर पर।
सावधि जमा के पुन: निवेश/नवीकरण की तारीख को प्रचलित ब्याज दर नई सावधि जमा के लिए लागू होगी।

<u>आवर्ती जमा:</u>

1. **आरडी की अवधि** - आवर्ती जमा खाते न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए खोले जा सकते हैं।

2. **आरडी पर ब्याज भुगतान/टीडीएस देयता**
   - आवर्ती जमाराशियों पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा बैंक की नीति के अनुसार और कानून या विनियम के अनुसार की जाएगी।
   - आवर्ती जमा पर ब्याज तिमाही पूंजीकरण के आधार पर लागू किया जाता है
   - यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय बजट 2015 ने आवर्ती जमा को भी शामिल करने के लिए सावधि जमा की परिभाषा का विस्तार किया है। यदि सावधि जमा और आवर्ती जमा पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किया गया / अर्जित कुल ब्याज 50,000रुपये की सीमा से अधिक है तो लागू दर पर कर की कटौती की जाएगी। (वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू सीमा 1,00,000 रुपये है)। टीडीएस देयता अब ग्राहक की विशिष्ट आईडी में टैग की गई सभी जमाओं के लिए अर्जित कुल ब्याज के आधार पर निर्धारित की जाएगी, यदि कुछ ग्राहकों की छूट सीमा का उल्लंघन किया जाता है (फॉर्म 121 जमा करने के बावजूद), कर की कटौती के लिए उत्तरदायी होगा।
   - वित्त अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार, 01 अप्रैल, 2010 से प्रभावी उन सभी ग्राहकों को वैध पैन प्रस्तुत करना आवश्यक है जिनका कर काटा जाना है। वैध पैन नहीं होने की स्थिति में मौजूदा दर पर या 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, कर काटा जाएगा। इसके अलावा, फॉर्म 121 को तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे फॉर्म में PAN का उल्लेख न किया गया हो.

3. **किश्तों का भुगतान**
   - एक बार तय की गई किस्त राशि को बाद की किसी भी तारीख में बदला नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि उत्पाद की पेशकश में प्रदान किया गया है;
   - यदि भुगतान के समय एक से अधिक किश्त अतिदेय है, तो भुगतान की गई किस्त, यदि केवल उस एक किस्त को कवर करने के लिए पर्याप्त है, तो पहली या जल्द से जल्द किस्त अतिदेय के लिए विनियोजित की जाएगी;
   - दंडात्मक शुल्क, यदि लागू हो, किश्तों के किसी भी देर से भुगतान के लिए लिया जाएगा
   - किश्तों के आंशिक भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उत्पाद की पेशकश में प्रदान नहीं किया जाता है और बैंक द्वारा लिखित रूप में सहमति नहीं दी जाती है।

4. **परिपक्वता**
   - ब्याज का भुगतान केवल परिपक्वता पर किया जाता है;

- जब ग्राहक द्वारा सभी निर्धारित किस्तों का भुगतान किया जाता है, तो संचित राशि परिपक्वता की तारीख पर अर्जित ब्याज के साथ चुकाने योग्य होती है;
- हालांकि, जहां अंतिम किस्त देय तिथि के बाद बैंक द्वारा प्राप्त की जाती है, ब्याज के साथ संचित राशि जमा की परिपक्वता तिथि पर चुकाने योग्य हो जाएगी;
- आवर्ती जमा पुष्टिकरण सलाह पर उल्लिखित परिपक्वता राशि समय पर सभी किश्तों के भुगतान के अधीन है; और
- यहां दी गई शर्तें उत्पाद की पेशकश की शर्तों के अधीन होंगी और बैंक द्वारा लिखित रूप में सहमति के अनुसार होंगी।
- गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस पर परिपक्व होने वाली जमाराशियों के मामले में, परिपक्वता मूल्य पर बीच के गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

5. **समय से पहले निकासी और जुर्माना**
    - ग्राहक को किस्त का भुगतान करने के लिए 5 दिनों की अनुग्रह अवधि उपलब्ध होगी। 3 भुगतानों के बाद, बैंक आवर्ती जमा खाता बंद करने और उससे प्राप्त राशि को लिंक्ड बचत/चालू खाते में जमा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; ऐसे बंद खातों पर लागू ब्याज दर बैंक की समयपूर्व निकासी नीति के अनुसार होगी।
    - आवर्ती जमा की समय से पहले निकासी की अनुमति है, और उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए जमा चला है। ब्याज प्रभार, यदि कोई हो, संविदागत दर पर लागू किया जाएगा।

*एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ जमाराशियों के बारे में किसी भी अधिक विवरण के लिए जमा नीति देखें.